प्रश्न सं. [ क्र. 723 ]

**परिशिष्ट–1**

## मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय
### प्रश्न

उत्तर भेजने का दिनांक :- 22.02.2021
वर्ग :- 03 बैठक का दिनांक :- 02.03.2021 विभाग का नाम :- जल संसाधन विभाग

विषय :- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब आने वाले मार्ग।

तारांकित प्रश्न क्रमांक :- 723 श्री बापूसिंह तंवर

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

**प्रश्न**

| | |
|---|---|
| (क) | मोहनपुरा परियोजना के डूब क्षेत्र मे लोक निर्माण विभाग मार्ग एन.एच.52 से चाटूखेड़ा वाय बामलावे मार्ग पुल सहित डूब गया है ? |
| (ख) | कण्डिका (क) का उत्तर यदि हां है तो क्या जल संसाधन विभाग ने उक्त मार्ग का कितना मूल्यांकन किया है तथा कितना मुआवजा लोक निर्माण विभाग को दिया है ? |
| (ग) | प्रश्न की कण्डिका (ख) अनुसार यदि जल संसाधन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को मुआवजा नही दिया है ? तो विभाग ने अपनी डूबी हुई सडक एवं पुल के मुआवजा वसूली हेतु किस–किस दिनांक को क्या – क्या कार्यवाही की ? |

**उत्तर**

| | |
|---|---|
| (क) | मोहनपुरा परियोजना में लोक निर्माण विभाग मार्ग एन.एच. 52 से चाटूखेड़ा बाम्लावे मार्ग का 4 कि.मी. का हिस्सा पुल सहित डूब गया है। |
| (ख) | विभाग द्वारा बॉध का निर्माण किया जाता है तो डूब क्षेत्र मे यदि किसी विभाग की शासकीय सम्पत्ति आती है तो उसका मुआवजा भुगतान नही किया जाता। आवश्यकतानुसार उस सम्पत्ति का वैकल्पिक निर्माण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है या जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इस सड़क मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामों के लिए बांध के डाउन स्ट्रीम में एक वैकल्पिक कॉज–वे का निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है जिसकी निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा। |
| (ग) | लोक निर्माण विभाग से संबंधित। |

(ए.के.दीक्षित)
परियोजना प्रबंधक
एम.के.पी.एम.यू.राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.